2022/524

फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हरकेश **बनाम** राज0 सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र   मु0नं0 78/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2022	प्रकरण प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी पवन, हरकेश पि0 जलसिंह मु0 बीला बेवा जलसिंह , सीताराम पुत्र जगन हि0 1/3 गुलाब बेवा जगन की हाल की जमाबन्दी खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 141 को सम्पूर्ण पर माफी मन्दिर का नोट लगा हुआ है। जबकि पूर्व जमाबन्दी खाता संख्या 39 सम्वत 2068 से पूर्व खसरा नम्बर 70/7 रकबा 0.03 है0 भूमि का ही माफी मन्दिर नोट था। अतः उक्त प्रकरण में नियमानुसार शुद्धि की जावे। इत्यादि पर उप तहसीलदार सिकन्दरा की रिपोर्ट ली गई । मुताबिक उप तहसीलदार सिकन्दरा रिपोर्ट ग्राम धूलकोट की जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 की खाता संख्या 39 में ख0न0 70, 70/1ल09 व अन्य नम्बरों में पवन हरकेश पि0 जलसिंह मु0 बीला बेवा जलसिंह हि0 1/3 सीताराम पि0 जगन मु0 गुलाब बेवा जगन हि0 2/3 जाति गुर्जर सा0 पिपलकी राहिन एसबीआई शाखा सिकन्दरा मूर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाते में नोट माफी मन्दिर श्री सीतारामजी खसरा नम्बर 70/7 रकबा 0.03 बिस्वा को नवीन खसरा नम्बर 141 में सम्मलित कर दिया गया है। मिसल में उक्त खातेदारान का खाता 36 बनाया गया जिसमें खसरा नम्बर 141 2.04 चाही प्रथम दर्ज है। खाते पर कोई नोट अंकन मंदिर माफी का नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2072-75 वास्तविक सम्वत 2072 की खाता संख्या 48 में पुराने न0 70/7 माफी मन्दिर श्री सीताराम का अंकन किया हुआ है। जो खसरा नम्बर 141 में सम्मलित है। संलग्न जमाबन्दी सं0 2072-75 जमाबंदी सम्वत 2076(2020 से स्थाई) में खाता संख्या 40 में खसरा नम्बर 141 के सभी काश्तकार पर माफी मन्दिर नोट लगा हुआ है। इत्यादि पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली को सुनवाई हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं जवाब स्टेट रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्व में केवल ख0न0 70/7 पर ही माफ़ी मन्दिर का नोट अंकित था लेकिन तत्पश्चात उक्त खसरे को प्रार्थी की भूमि में शामिल करते हुए सम्पूर्ण भूमि पर ही माफी मन्दिर का नोट अंकित कर दिया गया जो कि गलत है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उप तहसीलदार सिकन्दरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 141 में से पूर्व में माफी मन्दिर रही भूमि का अलग से नम्बर कायम कर माफी मन्दिर दर्ज किया जावे(दर्ज भूमि का रकबा पूर्व में दर्ज रही माफी मन्दिर भूमि के बराबर ही होगा) तथा शेष भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी करते हुए माफी मन्दिर के नोट को हटाया जावे।जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। उप तहसीलदार सिकन्दरा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] [हस्ताक्षर] अध्यक्ष लोक अदालत बैंच सिकराय, जिला दौसा [हस्ताक्षर] सदस्य लोक अदालत बैंच सिकराय,जिला-दौसा	